डायरी स० 524
दिनांक 14.08.18
फाईल मार्क

:: आदेश ::

अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन , सुभाष रोड , देहरादून के पत्रॉक– 8 बी/यू0सी0पी0/06/36 /2018/एफ0सी0/619, दिनॉक 3.7.2018 के तहत, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग के निर्माण में पड़ने वाली 6.940 है0 वन भूमि के बदले 13.88 है0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम म्यूटेशन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में, उप जिलाधिकारी पाटी द्वारा, अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 , सिंचाई खण्ड, लोहाघाट से प्राप्त सिविल भूमि म्यूटेशन प्रस्ताव संलग्न कर, अपने पत्र संख्या– 576, दिनॉक 2.8.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। उप जिलाधिकारी पाटी द्वारा प्रस्तुत भूमि प्रस्ताव के अनुसार, प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

1– उक्त परियोजना हेतु ग्राम–गूम, प0क्षे0 पाटी, तहसील पाटी, जनपद चम्पावत के गैर ज0वि0 श्रेणी श्रेणी–9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के खाता संख्या– 64, खेत नं0 1885, रकवा 8.040 है0, खेत नं0 1887 , रकवा 6.041 मध्ये 5.84 है0, कुल 13.88 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि के पूरब में नाप भूमि, पश्चिम में सिविल भूमि ग्राम गूम , उत्तर में सिविल भूमि ग्राम गूम व दक्षिण में सिविल भूमि ग्राम गूम है।

2– प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई धार्मिक, पौराणिक , श्मसानघाट, मन्दिर/ मस्जिद नहीं है।

3– प्रस्तावित सिविल भूमि में कोई सार्वजनिक/सरकारी अथवा गैर सरकारी भवन नहीं है।

4– प्रस्तावित सिविल भूमि किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

5– प्रस्तावित सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को देने में ग्राम वासियों की कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम प्रधानों की निरापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न हैं।

उपजिलाधिकारी पाटी द्वारा उक्त प्रस्तावित भूमि को वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की संस्तुति की गयी है।

अतः अपर मुख्य सचिव(वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून के पत्रॉक–8 बी/यू0सी0पी0/06/36 /2018 /एफ0सी0/619, दिनॉक 3.7.2018 द्वारा प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं उप जिलाधिकारी पाटी की उक्त संस्तुति के कम में, जनपद चम्पावत में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले, ग्राम –गूम, प0क्षे0 पाटी, तहसील पाटी के खाता संख्या– 64, श्रेणी–9(3)ड0 बंजर काबिल आवाद के खेत नं0 1885, रकवा 8.040 है0, खेत नं0 1887 , रकवा 6.041 मध्ये 5.84 है0, कुल 13.88 है0 भूमि को, क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के नाम नामान्तरण/हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(एस0एन0 पाण्डे)
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या–1743/सात– 5/व0भू0–भूमि हस्तॉ0/2016–17, दिनॉक अगस्त,14, 2018

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग , चम्पावत ।
4. उप जिलाधिकारी पाटी।
5. अधिशासी अभियन्ता , पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट ।
6. तहसीलदार पाटी को मय पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रेषित कि , स्वीकृत भूमि का वन विभाग के नाम भू–अभिलेखों में नामान्तरण कर नियमानुसार हस्तान्तरण करना सुनिश्चित करेंगे।

(एस0एन0 पाण्डे) 10.08.2018
जिलाधिकारी चम्पावत।

उद्धरण गैर जमींदारी विनाश खतौनी

ग्राम धूम राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र पाटी तहसील पाटी

जिला चम्पावत

खतौनी खाता संख्या	खातेदारों के नाम पिता/पति का नाम व निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा नम्बर	रकबा	माल गुजारी रु०	माल गुजारी पै०	विवरण
64	श्रेणी 9(3)ड० वं० का० भू०	1374	2	1.034			जिलाधिकारी महोदय चम्पावत के आदेश सं० 4743/सात-2/वं०भू०-भूमि हस्ता-/2016-17 दि० 14-8-2018 द्वारा ग्राम धूम पट्टी पाटी तह० पाटी के गैर ज०वि० खाता सं० 64 श्रेणी 9(3)ड० वं०का०भू० के खेत नं० 1885 रकबा 8.040 हे० खेत 1887 रकबा 6.041 मध्ये 5.84 हे० कुल 13.88 हे० भूमि क्षतिपूरक हेतु वन विभाग के नाम नामान्तरण / हस्तान्तरण अमल दरामद किया जाता है,
			3	0.273			
			क्रमशः	क्रमशः			
			1885	8.040			
			1887	6.041			
			क्रमशः	क्रमशः			
			7005	0.333			
			1692/7007	0.104			ह०/- रा०उ०नि० पाटी; ह०/- सत्यापित R.K. पाटी
							असल खतौनी से नकल की
	योग		334	217.025			

रा०उ०नि०
राजस्व उप निरीक्षक
तह.- पाटी
जिला- चम्पावत
दिनांक........

सिविल भूमि का कब्जा प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रीठा से कूँण मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में 6.94 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिसके दोगुने क्षेत्रफल 13.88 हे0 में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु ग्राम गूम पट्टी क्षेत्र पाटी तहसील पाटी जिला चम्पावत में प्रस्तावित की गई है जो गै0ज0वि0 श्रेणी 9(3)ड़ बं0का0आ0 के खतौनी खाता सं0 64 के खेत नं0 1885 रकवा 8.040 हे0 खेत नं0 1887 रकवा 6.041 मध्ये 5.84 हे0 कुल रकवा **13.88 हे0** का जिलाधिकारी महोदय के आदेश सं0 4743/सात–5/व0भू0–भूमि हस्ता0/2016–17 दिनांक 14–8–2018 के द्वारा वनविभाग के नाम नामांत्रण/हस्तानांतरण हेतु आदेशित किया गया है। तहसीलदार पाटी द्वारा उक्त भमि का अमलदरामद (नामांत्रण) वनविभाग के नाम कर दिया गया है। उक्त सिविल भूमि को वनविभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। यह भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

वन दरोगा
धूनाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
देवीधूरा वन क्षेत्र
चम्पावत वन प्रभाग